


— आदेश —

अभियोजन विभाग में सेवा निवृत्त कार्मिकों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.11/94 दिनांक 10.2.2016 में वर्णित शर्तों के अनुसार समेकित पारिश्रमिक पर प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर निम्नांकित आदेशों के द्वारा दिनांक 28.2.2017 तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र.सं.	प्रशासनिक विभाग से प्राप्त आई डी क्रमांक व दिनांक	अभियोजन विभाग द्वारा अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति के आदेश क्रमांक व दिनांक	अस्थाई रूप से नियुक्त कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4
1-	100882/गृह-10 दिनांक 28.4.2016	4855-82 दिनांक 4.5.16	20 (-1)
2-	100882/गृह-10 दिनांक 21.6.2016	7125-43 दिनांक 24.6.16	13 (-1)
3-	100882/गृह-10 दिनांक 18.10.2016	11786-801 दिनांक 24.10.16	7
योग —			38

चूँकि सम्बन्धित नियमों में उपरोक्त प्रकार की नियुक्ति 1(एक)वर्ष के लिये किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रशासनिक विभाग की आईडी क्रमांक 100882/गृह-10 दिनांक 28.4.2016 से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर श्री राजेन्द्र प्रसाद कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन भरतपुर तथा श्री मोहन लाल मीणा कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन भीलवाडा को छोड़कर उपरोक्त सारणी के कालम संख्या 3 में अंकित निदेशालय द्वारा जारी स्वीकृति आदेशानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संविदा पुर्ननियुक्ति सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। संविदा प्रदान की जाने वाली भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निदेशक अभियोजन के सम्बन्ध में शेष शर्तें पूर्व में जारी आदेशों के



कार्मिकों को लेने

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग,
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान,
3. उप निदेशक अभियोजन,
4. सहायक निदेशक अभियोजन,
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन,
6. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली

27/2/17
अभियोजन,